



कार्यालय पुलिस उपायुक्त काशी जोन, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी
प्रेस-नोट

दिनांक:-27-03-2025

विषय:-"ऑपरेशन कन्विकशन" के तहत अभियुक्तगण बच्चा उर्फ सलीम व छोटा बाबू को छेड़खानी, मारपीट,पाक्सो के मामले में अधिकतम 03-03 वर्ष के सश्रम कारावास व कुल 9500-9500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

थाना-आदमपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0- 205/2016, धारा- 354ए, 323, 506 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1. बच्चा उर्फ सलीम 2. छोटा बाबू पुत्रगण स्व0 हारुन निवासी- ए-33/114 ओम कालेश्वर, थाना-आदमपुर, वाराणसी को थाना आदमपुर पुलिस व मॉनीटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक 27-03-2025 को मा0 न्यायालय विशेष न्यायालय पाक्सो-मेन जनपद वाराणसी द्वारा दोष सिद्ध करते हुए अभियुक्त बच्चा उर्फ सलीम व छोटा बाबू उपरोक्त को धारा- 354ए, 323, 506 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट में अधिकतम 03-03 वर्ष के सश्रम कारावास व 9500-9500/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न दिये जाने की दशा में अभियुक्त को 30 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त जोन-काशी
कमिश्नरेट-वाराणसी